न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 43/2014–15 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

1– खलील अहमद पुत्र हैदर अली निवासी– ग्राम बिधौली परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार, 2. जमील अहमद पुत्र खलील, 3. इकबाल पुत्र खलील, निवासी– ग्राम बिधौली परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार।

बनाम

1. शमशाद पुत्र मंजूरा, निवासी– जबरदस्तपुर, परगना मंगलौर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार, 2. मकसूद पुत्र जहूर, 3. रियासत पुत्र अली हसन, निवासी– पठानपुरा, मंगलौर, जिला हरिद्वार।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री सुनील कुमार त्यागी।

अधिवक्ता उत्तरदातागण : मौहम्मद कामिल।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त ने विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा निगरानी संख्या–26/12–13 शमशाद आदि बनाम हरित आदि में पारित आदेश दिनांक 13–04–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

निगरानीकर्ता के पक्ष में पारित दाखिल खारिज आदेश दिनांक 07–09–2012 के विरूद्ध सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, हरिद्वार के समक्ष दिनांक 10–09–2012 को उत्तरदाता संख्या–1 व 2 ने अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 10–02–2012 को अदम पैरवी में निरस्त की गई। आदेश दिनांक 10–02–2012 के विरूद्ध उत्तरदाता संख्या–1 व 2 ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 12–12–2012 प्रस्तुत किया जिसे विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, हरिद्वार ने आदेश दिनांक 23–07–2013 से इस आधार पर निरस्त किया कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उसके द्वारा कोई रूचि नही ली जा रही है। आदेश दिनांक 23–07–2013 के विरूद्ध अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष उत्तरदाता संख्या–1 व 2 ने निगरानी प्रस्तुत की जिसे विद्वान अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 13–04–2015 से

स्वीकार कर सहायक कलेक्टर का आदेश दिनांक 23–07–2013 व तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 07–09–2012 निरस्त करते हुए सभी नामान्तरण वादों को एक्जाई कर गुण दोष के आधार पर आदेश पारित करने हेतु प्रति प्रेषित किया। विद्वान अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 13–04–2015 के विरूद्ध ही वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

निगरानीकर्ता खलील अहमद द्वारा एक प्रार्थना पत्र वाद संख्या–07 सन् 2002 खलील आदि प्रति शमशाद आदि में पारित सिविल जज(प्रवर खण्ड)रूड़की, हरिद्वार के निर्णयादेश दिनांक 26–09–2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि पक्षकारों के मध्य विक्रय पत्र दिनांक 22–12–2016 पर सिविल जज (प्रवर खण्ड) रूड़की द्वारा निर्णय दिनांक 26–09–2016 पारित करते हुए उसे निरस्त किया गया है जिसके विरूद्ध उत्तरदातागण द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है तथा वे आदेश दिनांक 26–09–2016 को सही मान रहे है अतः निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 13–04–2015 निरस्त किया जाय। उत्तरदाता संख्या–1 व 2 की ओर से भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है अतः आक्षेपित आदेश दिनांक 13–04–2015 निरस्त किया जाय।

अतः उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के दृष्टिगत प्रस्तुत निगरानी के गुण दोष पर विवेचना न करते हुए निम्नवत् आदेश पारित किये जाते है।

आदेश

निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर नामान्तरण प्रकरण से सम्बन्धित सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयादेशों को अपास्त कर नवीन घटनाओं एवं तथ्यों के आलोक में नामन्तरण प्रकरण का नये सिरे से विधिवत सुनवाई कर निस्तारणार्थ उसे तहसीलदार, रूड़की को प्रति प्रेषित किया जाता है पक्षकार तहसीलदार के न्यायालय में दिनांक 09–12–2016 को उपस्थित हों। अपर आयुक्त न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **04–11–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।